ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत चांजू में निम्नलिखित प्रधान, सचिव कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती टेकू देवी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री जान मुहम्मद	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01	7.1 - 7.3	पंचायत राजस्व गृहकर, मोबाईल टावर फीस एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	1.45
02.	8.2	बिना M (XY) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वित्तीय हानि बारे।	2.20
03.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	0.81
04.	8.4	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	0.58
05.	8.5	कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाये गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/ कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	39.03
06.	9.1	मनरेगा अनुदान के व्यय/भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	15.23
07.	9.3 9.5	मनरेगा अनुदान में गलत गणना एवं पंचायत द्वारा करवाये गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गलत गणना व अन्य त्रुटियों के कारण अधिक भुगतान।	0.05

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत चांजू का अंकेक्षण अवधि 04/2019 से 03/2021 के लिये किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-02 दिनांक 24-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के कुछ पैरों पर कार्रवाई की गई है। इसके अवलोकन उपरान्त पाया गया कि पंचायत द्वारा नाममात्र पैरों पर ही कार्रवाई की गई जबकि अन्य अत्यंत गम्भीर पैरों पर न तो कोई कार्रवाई की जा रही अपितु उनकी पुनरावृत्ति भी की जा रही है गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करने उपरान्त।
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	-
4.	6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
5.	7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
6.	8	अनिर्णीत	-
7.	9	अनिर्णीत	-
8.	10	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त।
9.	11(क)	अनिर्णीत	-
10.	11 (ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
11.	12	अनिर्णीत	-
12.	13	अनिर्णीत	-
13.	14	अनिर्णीत	-
14.	15	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त।
15.	16	अनिर्णीत	-
16.	17	अनिर्णीत	-
17.	18	अनिर्णीत	-
18.	19	अनिर्णीत	-
19.	20	अनिर्णीत	-
20.	21	अनिर्णीत	-
21.	22 (क,ख ग)	अनिर्णीत	-
22.	23	अनिर्णीत	-
23.	24.	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24-05-2024 से 31-05-2024 तक ग्राम पंचायत चांजू के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	10/2022	05/2022
2.	2023-2024	07/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 31-05-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत चांजू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत चांजू के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्रोत ($3^{RD}/5^{TH}$ State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	290496.32	413507.00	704003.32	375510.00	328493.32
2023-24	328493.32	292163.00	620656.32	561928.00	58728.32

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	3852620.32	11596340.00	15448960.32	10830013.00	4618947.32
2023-24	4618947.32	13697561.00	18316508.32	14731123.00	3585385.32

नोट: उपरोक्त स्व:-स्त्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि; उक्त स्व:-स्त्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) ₹58728.32 + ₹3585385.32 ₹3644113.64

(ब) ग्राम पचांयत चांजू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹) 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	19210120942	HPSCB TISSA	**1948990.00**
2.	14वां वित्तायोग	19210115935	HPSCB TISSA	**16.00**
3.	RGSA	100167526891	Indusand Bank Dharamsala	**220877.00**
4.	IAY/RAY	17710103201	HPSCB BHANJRARU	**877.00**

5.	VKVNY/SDP/ BASP/SDRF/SB M/3RD5th SFC/ SF/LADA	17710103115	HPSCB BHANJRARU	**721306.32**
			Cash in hand	**22441.00**
			TOTAL	**₹2914507.32**

अन्तर (अ-ब) ₹3644113.64 - ₹2914507.32 = ₹729606.32

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹7.29 लाख का भारी अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत चांजू द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹729606.32 का अन्तर बैंकपास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹4.61 लाख के भारी अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि; पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है, तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वे मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल लेखों में निम्न विवरणानुसार राशि ₹460512.07 का अन्तर पाया गया।

31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹31,83,601.57**
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹36,44,113.64**
अन्तर	**₹4,60,512.07**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

5.3 पूर्व प्रधान व सचिवों के पास शेष आग्रिम/हस्तगत राशि ₹0.22 लाख की वसूली न करने बारे :-

ग्राम पंचायत चांजू के नमूना अंकेक्षण दौरान रोकड़बही के अवलोकन में पाया गया कि, पूर्व प्रधान श्री खेती राम को दिनांक 15-10-2005 को राशि ₹9541 आग्रिम के तौर पर प्रदान की गई थी एवं सचिव श्री गणेश को 17-03-2006 को राशि ₹12350 आग्रिम के तौर पर प्रदान की गई थी तथा सचिव श्री कर्म चंद के पास 550 हस्तगत शेष थी। जिसे दिनांक 31-03-2024 तक भी उक्त प्रतिनिधि/कर्मचारी द्वारा जमा नहीं करवाया गया। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु पंचायत द्वारा इस बारे कोई भी अपेक्षित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः उक्त राशि की वसूली दंडात्मक व्याज सहित शीघ्र अतिशीघ्र करके उक्त निधि में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹35.85 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹3585385.32 की राशि (रोकड़वही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितिता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.31 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत चांजू के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग

व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹131030 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया
2022-2023	56130	749	50	37450	93580	0	93580
2023-2024	93580	749	50	37450	131030	0	131030

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 31-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4625/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With Late Fee		Without LateFee	With Late F.		
2022-23	30	07@200	0	1400	23@25	0	575	1975
2023-24	22	12@200	0	2400	10@25	0	250	2650
कुल योग	**52**	**19@200**	**0**	**3800**	**33@25**	**0**	**825**	**₹4625**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 31-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 मोबाईल टावरों की पूर्व अवधि की नवीनीकरण शुल्क बकाया राशि ₹0.10 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०(2)8/99 दिनांक 20-03-2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए राशि ₹10000/- आवेदन शुल्क (स्थापना शुल्क) व राशि ₹5000/- वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित की गयी है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक निम्न विवरणानुसार सभी मोबाईल टावरों की वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹10000/- वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	टावरों की संख्या	नवीनीकरण शुल्क/प्रति टावर/वर्ष	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु बकाया
1.	2022-23	10000	02	0	0	10000	0	10000
2.	2023-24	10000	02	0	0	10000	0	10000

नोट : मोबाईल टावर फीस की उक्त बकाया राशि हि०प्र० सरकार की अधिसूचना 885 दिनांक 13-05-2022 के पूर्व की है तथा वर्तमान में उक्त अधिसूचना के अनुसार पंचायत की अपनी निजी भूमि पर कोई मोबाइल टावर नहीं है इसलिये मांग शुन्य दर्शायी गई है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 31-05-2024 के प्रत्युतर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, बकाया राशि की

वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। उतर पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है। जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः पूर्व अवधि की मोबाइल टावरों की बकाया राशि को शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके सम्बंधित खाते में जमा करवा दिया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत चांजू के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि इस सम्बन्ध में पूर्व अवधि में आपत्ति उठाई गई थी। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-(XY) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹2.20 लाख के राजस्व की भारी वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त तीसा विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या 7018 दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा भी समस्त प्रधानों/सचिवों/सहायकों को रेत,बजरी तथा पत्थर की सम्बंधित ठेकदारों से रॉयल्टी कटाने एवं सरकार को भेजने के लिए आदेशित किया गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत चांजू, के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹219963.22/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/04 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही M फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि गत अंकेक्षण में भी इस बारे आपत्ति उठाई गई परन्तु वर्तमान में भी उसकी पुनरावृत्ति करना संदिग्ध व अनुचित प्रतीत होता है।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गंभीर अनियमितिता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनिमितिता को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.81 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चांजू के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1706209/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय समाग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता

एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹81248.02 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 30-05-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज, रसीद, कैश मेमों व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यद्यपि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.58 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है, तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर कर (TDS) व्यक्ति की दशा में 1% तथा फर्म की दशा में 2% आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाएगा।

ग्राम पंचायत चांजू के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹2920791/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹58416/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

क्रम/ अनुदान	वॉउचर / वर्ष	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	भुगतान की गई राशि	TDS @ % 2
1.VKVNY	12 & 13/ 23-05-2023	JCB Excavation	M/S Amar Singh Vill. Bharara PO Tikrigarh, Chamba	400000	8000
2.VKVNY	38 & 40/ 05-02-2023	JCB Excavation	M/S Amar Singh Vill. Bharara PO Tikrigarh, Chamba	1000000	20000
3.VKVNY	20-23/ 17-06-2023	Vackhoe Loader & Excavation	M/S Vijay Singh PO Chanju Chamba	672000	13440
4.VKVNY	23-25/ 05-07-2023	Vackhoe Loader & Excavation	M/S Vijay Singh PO Chanju Chamba	457000	9140
5.MGREGA	Nil/29-06-2023	Carrige of Sand,stone & Aggregate	M/S Kewal Krishan PO Dehra Tehsil Churah, Chamba	168194	3364
6.MGREGA	Nil/29-06-2023	Carrige of Sand & agg.	M/S Gurdyal PO Chanju, Chamba	223597	4472
			कुल योग	**₹2920791**	**₹58416**

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस. की कटौती वित्तीय वर्ष 2021-2022 में की गई थी परन्तु जानकारी न होने के अभाव में यह निधि के खाते में ही पड़ी है परन्तु अंकेक्षण अवधि में टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई है इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर राशि ₹39.03 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत चांजू की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निम्नविवरणनुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन माप पुस्तिका, प्रपत्र-34 उपियोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1.RGSA	कार्य : अपग्रेडेशन पंचायत घर चांजू	430000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order Form 13C
2.RGSA	कार्य: कॉमन सर्विस सेंटर पंचायत घर चांजू	500000	
3.MGREGA	कार्य: लैंड प्रोटेक्शन वर्क पंचवटी	987601	do
4.MGREGA	कार्य : लैंड प्रोटेक्शन वर्क GPS चांजू	996384	do
5. MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क विध बौंडरी वाल पंचवटी	989683	do
	कुल योग	**₹3903668**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 30-05-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पड़े है यह पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त वांछित अभिलेखों का पंचायत में न पाया जाना संदिग्ध व आपतिजनक हैं। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर एवं उक्त वांछित अभिलेखों सहित अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र प्रेषित किया जाये।

9.1 राशि ₹15.23 लाख के स्टोर/स्टॉक के व्यय भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत चांजू के व्यय के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹1523614.50 का भुगतान रेत, बजरी व पत्थर के क्रय व ढुलान की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह पंचायती राज अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की गई।

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में पाई गई विविध वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे

1. पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु अधिकृत विक्रेता GST/TIN पंजीकृत नहीं हैं एवं विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बिल प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज पर अभिस्वीकृति सहित भुगतान हेतु दिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इस पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आवंटित की गई है। इस प्रकार के बिलों पर किये गये भुगतानों को न्योयचित ठहराया जाये।

2. पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के एवज में आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों को किये गए भुगतानों के FTOs (Fund transfer order) अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गये जिससे कि यह सुनिश्चित/सत्यापित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए वास्तव में उन्ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है अथवा नहीं ?

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्योयचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.81 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत चांजू द्वारा राशि ₹81472/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया

गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 30-05-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 मनरेगा अनुदान में गलत गणना के कारण राशि ₹1130 के अधिक भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, मनरेगा अनुदान के अंतर्गत वाउचर संख्या निल दिनांक 30-06-2022 को मै० गुरदयाल को उनके बिल संख्या 132 व 134 के अंतर्गत 126m3 पत्थर राशि ₹765 की दर से क्रय किये जिनका अपेक्षित भुगतान ₹96390 बनता था परन्तु सचिव द्वारा ₹97520 का भुगतान किया गया इस प्रकार राशि ₹1130 (97520-96390) का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे अधियाचना संख्या 07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि अधिक भुगतान की राशि को शीघ्र ही खाते में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उक्त अधिक भुगतान की गई राशि को उक्त नियमानुसार शीघ्र जमा

करवाया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की विभागीय स्तर पर जाँच की जाये, अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.4 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियां अस्पष्ट, अधूरी,कटिग, ओवरराइटिंग एवं लिखाई अपठनीय थी इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका के अंत में प्रयुक्त सामान की खपत भी नहीं दर्शाई गई थी जोकि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.5 निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गलत गणना व अन्य अनियमितताओं के कारण राशि ₹4146 का अधिक भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान तकनीकी सहायक द्वारा करवाए गए कार्यों की माप पुस्तिका में निम्नविवरणानुसार गलत गणना व अन्य विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत राशि ₹4146 का अधिक भुगतान किया गया।

1.Work Item & No.	2.Calculation As per MB	3.Calculation as per Audit	4.Difference (2-3)	5. Rate & Excess
A.Work : Pakka Path Mudola MB No.16776 page 65-66 Head MGREGA				
1.Stone Soiling	1x10x2.90x.15 = 4.40m3	1x10x2.90x.15 = 4.35m3	4.40-4.35 =0.05m3	87.15@0.05 =Rs4.35

2.P/L CC 1:3:6	Total = 21.05m3	Total = 20.51m3	= 21-05-20.51=0.54m3	0.54@643.16 =Rs347.30 **Total (A) =Rs352**
B.Work : Pakka Path Daka MB No.16776 page 62-63 Head MGREGA				
3.P/L CC 1:3:6	12.90x2.80x0.075 = 2.80m3	12.90x2.80x0.075= 2.70m3	=0.10m3	0.10m3@432.01 =Rs43.20
3.P/L CC 1:3:6	In this item CC executed and no entry of stone soiling for this found	12.90x2.80x0.075= 2.70m3 11.90x1.20+1.60/2x0.075 = 1.24m3	-	2.70+1.24 =3.94m3@432.01 =Rs1702
Labour Enhancement @98% on 1745.20 i.e 1710.29 Now Total = 3455				**Total(B) Rs 3455**
C Work : Panihara Nirmaan Rohit Land Sundri MB No.16776 page 60-61 Head MGREGA				
2.Excavation in Earth	1x5.90x1.0x.60 =4.54 2x1.50x.60x.60 =1.40	1x5.90x1.0x.60 =3.54 2x1.50x.60x.60 =1.08	4.54-3.54= 1.0 1.40-1.08=.32	1.32m3@121.275 = Rs160
	Labour Enhancement @112% on 160 i.e 179 Now Total =339			**Total (C)=Rs339**
	Total Amount Overpaid (A+B+C)			**₹4146**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि अधिक व्यय राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जाएगी अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर उक्त राशि की वसूली करके शीघ्र खाते में जमा करवा दी जाये एवं इस प्रकार के अन्य मामलों की पंचायत स्तर पर गहनता से जाँच की जानी सुनिश्चित की जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.6 पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे । स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की

अभिस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमाविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 मनरेगा मटेरियल रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹13561530.03 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विन्योजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि मनरेगा के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गंभीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.8 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने

के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार मजदूरी पर तय अनुपात से 7.51% कम एवं सामग्री के ऊपर तय अनुपात से अधिक 7.51% का व्यय किया गया जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (₹ लाखों में)	मजदूरी पर व्यय(₹ लाखों में)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता (₹)	सामान पर व्यय(₹ लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता (₹)
1.	2022-23	102.84	56.44	54.88%	46.40	45.12%
2.	2023-24	137.40	79.15	57.61%	58.25	42.39%
	सामाग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय					**+7.51%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री व मजदूरी अनुपात में अंतर केवल वर्तमान वर्षों में पिछले सामग्री बिलों के कारण है वर्तमान अवधि में कार्य तय अनुपात में ही करवाए गए हैं। अत: उक्त के समबन्ध में व्यक्तिगत श्रेणी में करवाए गए कार्यों की सूची अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई ताकि उक्त प्रस्तुत उत्तर का सत्यापन किया जा सके।

9.10 राशि ₹2.10 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत चांजू के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा

अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹210105/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करना।
3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित करना।
4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	**निर्माण कार्य**	**मस्ट्रोल संख्या**	**वाउचर/ दिनांक**	**राशि**
.1VKVNY	कार्य: पक्का पाथ स्वाला –II (कार्य का वर्ष 2019)	36566/ 36572	09 & 10/ 20-05-2022	89850
2.RGSA	कार्य:कोमन सर्विस सेंटर पंचायत घर चांजू	36424	04/ 20-12-2023	120255
			कुल योग	**₹210105**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 30-05-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चांजू के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन न करके मैन्युअल ही किया जा रहा है एवं मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत

परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। पंचायत द्वारा न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों एवं मनरेगा रोकड़बही को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाया गया। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची से लिया गए हैं। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत चांजू के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि गत अंकेक्षण में भी इस पर आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान में भी इसके पुनरावृत्ति की जा रही है अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **<u>नियम 29 से 31</u>** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **<u>नियम 34</u>** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं

7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामाग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण
11.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत चांजू की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा

दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13 **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है।

12 JUL 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 11.7.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

3396–3400 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 81/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत
5. सचिव, ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 JUL 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 11.7.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/50

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Chanju for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	290496.32	413507.00	704003.32	375510.00	328493.32
2023-24	328493.32	292163.00	620656.32	561928.00	58728.32

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3852620.32	11596340.00	15448960.32	10830013.00	4618947.32
2023-24	4618947.32	13697561.00	18316508.32	14731123.00	3585385.32

3644113.64

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चांजू, विकास खंड तीसा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत सात रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (58728.32+3585385.32)

Closing balance as per Cash Books		3644113.64
Closing balance as per Bank Passbooks		2914507.32
Difference	(Less in Passbook	729606.32

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Chanju
विकास खण्ड तीसा जिला चम्बा

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Chanju Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	IAY	MGREGA	VKVNY	RGSA	14TH FC	15FC	SBM	BASP	LADA	TOTAL
April	22244.00	70200.00	1500.00	281358.00	175927.00	0.00	0.00	22305.00	0.00	0.00	0.00	**573534.00**
May	0.00	0.00	0.00	2412602.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2812602.00**
June	0.00	0.00	0.00	503913.00	0.00	501007.00	0.00	159048.00	0.00	0.00	0.00	**1163968.00**
July	0.00	82200.00	0.00	14210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**96410.00**
August	2310.00	0.00	0.00	408186.00	0.00	0.00	0.00	164598.00	0.00	0.00	0.00	**575094.00**
September	24313.00	0.00	1531.00	376323.00	0.00	4420.00	583.00	24639.00	0.00	0.00	0.00	**431809.00**
October	**27000.00**	3840.00	0.00	0.00	86720.00	0.00	0.00	238571.00	0.00	0.00	0.00	**356131.00**
November	0.00	82200.00	0.00	657985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**740185.00**
December	0.00	0.00	0.00	380788.00	0.00	5811.00	0.00	246898.00	0.00	0.00	0.00	**633497.00**
January	0.00	54800.00	0.00	987547.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1442347.00**
February	0.00	21000.00	0.00	138800.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**759800.00**
March	0.00	23400.00	0.00	1955120.00	0.00	6056.00	255.00	439639.00	0.00	0.00	0.00	**2424470.00**
Total	**75867.00**	**337640.00**	**3031.00**	**8116832.00**	**1662647.00**	**517294.00**	**838.00**	**1295698.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12009847.00**

Expenditure Statement of GP Chanju Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	IAY	MGREGA	VKVNY	RGSA	14TH FC	15TH FC	SBM	BASP	LADA	Total
April	6720.00	0.00	0.00	281358.00	98077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**386155.00**
May	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2412602.00**	**518900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35986.00**	**2967488.00**
June	0.00	0.00	0.00	503913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**503913.00**
July	0.00	0.00	0.00	14210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14210.00**
August	0.00	135500.00	0.00	408186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169323.00	0.00	**713009.00**
September	26965.00	0.00	0.00	376323.00	0.00	0.00	0.00	144475.00	427845.00	34440.00	0.00	**1010048.00**
October	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
November	0.00	0.00	0.00	657985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**657985.00**
December	4625.00	108400.00	0.00	380788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84310.00	0.00	**578123.00**
January	0.00	0.00	0.00	987547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**987547.00**
February	0.00	0.00	0.00	138800.00	600000.00	0.00	0.00	199825.00	0.00	0.00	0.00	**938625.00**
March	0.00	93300.00	0.00	1955120.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2448420.00**
Total	**38310.00**	**337200.00**	**0.00**	**8116832.00**	**1616977.00**	**0.00**	**0.00**	**344300.00**	**427845.00**	**288073.00**	**35986.00**	11205523.00

Chanju

Income Statement of GP Chanju Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2023-2024

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	BASP	MGREGA	VKVNY	RGSA	14TH FC	15FC	IAY	SDRF	TOTAL
April	0.00	0.00	0.00	1578764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.00	0.00	**1580207.00**
May	0.00	0.00	0.00	2021993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2021993.00**
June	7825.00	95300.00	0.00	4901534.00	1200000.00	6199.00	16.00	17050.00	731.00	0.00	**6228655.00**
July	**29779.00**	0.00	272650.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**303696.00**
August	0.00	123709.00	0.00	25712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**149421.00**
September	8106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6267.00	0.00	13222.00	0.00	0.00	**27595.00**
October	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	**134.00**
November	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166099.00	0.00	0.00	**166099.00**
December	6586.00	0.00	0.00	833775.00	0.00	4973.00	0.00	12969.00	6.00	0.00	**858309.00**
January	9924.00	840.00	0.00	1096032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1106796.00**
February	10094.00	0.00	0.00	341940.00	0.00	2389.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	**454423.00**
March	0.00	0.00	0.00	1078885.00	0.00	0.00	0.00	13511.00	0.00	0.00	**1092396.00**
Total	**72314.00**	**219849.00**	**272650.00**	**11879902.00**	**1200000.00**	**19828.00**	**16.00**	**222851.00**	**2314.00**	**100000.00**	**13989724.00**

Expenditure Statement of GP Chanju Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2023-2024

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	BASP	MGREGA	VKVNY	RGSA	14TH FC	15TH FC	IAY	SDRF	TOTAL
April	10432.00	0.00	0.00	1578764.00	112494.00	0.00	18528.00	0.00	0.00	0.00	1720218
May	0.00	0.00	0.00	2021993.00	0.00	0.00	0.00	38794.00	0.00	0.00	2060787
June	**0.00**	**106200.00**	**0.00**	**4901534.00**	**672000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5679734**
July	0.00	**0.00**	0.00	1267.00	457000.00	0.00	0.00	677531.00	104779.00	0.00	1240577
August	50900.00	0.00	103080.00	25712.00	25600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205292
September	4920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4920
October	0.00	199516.00	0.00	0.00	0.00	195540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395056
November	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219960
December	0.00	0.00	0.00	833775.00	0.00	225915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1059690
February	0.00	0.00	0.00	341940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341940
March	66252.00	0.00	0.00	1078885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1145137
Total	**132504.00**	**429424.00**	**103080.00**	**11879902.00**	**1267094.00**	**641415.00**	**18528.00**	**716325.00**	**104779.00**	**0.00**	**15293051.00**

5679734

कार्यालय ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 01-04-2022 to 31-03-2024 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	19210120942	HPSCB TISSA	**1948990.00**
2.	14वां वित्तायोग	19210115935	HPSCB TISSA	**16.00**
3.	RGSA	100167526891	Indusand Bank Dharamsala	**220877.00**
4.	IAY/RAY	17710103201	HPSCB BHANJRARU	**877.00**
5.	VKVNY/SDP/BASP/SDRF/SBM/3RD5th SFC/SF/LADA	17710103115	HPSCB BHANJRARU	**721306.32**
			Cash in hand	**22441.00**
			TOTAL	**2914507.32**

प्रमाणित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत चांजू, में दिंनाक 31-03-2024 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 05 तक वर्णित बैंक खाते खोले गए हैं।

		परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित					
Financial Position Grants in Aids of GP Chanju for the Year to 2022-2023 To 2023-24							
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	8116832.00	8116832.00	8116832.00	0.00
		2023-24	0.00	11879902.00	11879902.00	11879902.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	1513371.00	1295698.00	2809069.00	344300.00	2464769.00
		2023-24	2464769.00	222851.00	2687620.00	716325.00	1971295.00
3	14TH FC	2022-23	101530.00	838.00	102368.00	0.00	102368.00
		2023-24	102368.00	16.00	102384.00	18528.00	83856.00
4	RGSA	2022-23	500000.00	517294.00	1017294.00	0.00	1017294.00
		2023-24	1017294.00	19828.00	1037122.00	641415.00	395707.00
5	IAY/RAY	2022-23	101805.00	3031.00	104836.00	0.00	104836.00
		2023-24	104836.00	2314.00	107150.00	104779.00	2371.00
6	GENERAL/VKVNY/SBM/BASP/LADA/SDRF etc.	2022-23	1635914.32	1662647.00	3298561.32	2368881.00	929680.32
		2023-24	929680.32	1572650.00	2502330.32	1370174.00	1132156.32

पंचायत सचिव
Chanju

परिशिष्ट- "3"

ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड तीसा ,जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No.Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	12/ 04-04-22	Tea,Sweets, Pakoda etc.	-	M/S Chet Ram s/o Inder Ram Nagori Tissa, Chamba	20140	**Quotations**
2.SF	47-49/ 26-07-22	Bundi, Tea, Pakode etc.	-	M/S Rathour Printers VPO Tissa, Chamba	10432	**Quotations**
3.SF	29-31/ 30-08-23	Tea & Pakode	-	M/S Chet Ram s/o Inder Ram Nagori Tissa, Chamba	34450	**Quotations**
4.SF	32/ 30-08-23	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur, Bhanjraru, Chamba	16450	**Quotations**
				Total	**81472**	

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 व 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP CHANJU FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST

	01-04-2022 TO 31-03-2024										
SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	M/S Gurdyal Singh	VKVNY	17,	Stone	12	26.88	13200	60	1612.80	12571.43	628.57
	PO Chanju, Chamba		20-04-2022						0.00	0.00	0.00
2	M/S Kewal Krishan	15th FC	06 to 08	Sand	16.88	27.01	50218	100	2700.80	47826.67	2391.33
	PO Dehra, Chamba		20-09-2022						0.00	0.00	0.00
3	M/S Gurdyal Singh	VKVNY	08 to 10	Sand	3.9	6.24	11602.5	100	624.00	11050.00	552.50
	PO Chanju, Chamba		20-09-2022						0.00	0.00	0.00
4	M/S Pawan Kumar	15th FC	12 to 22	Sand	29.16	46.66	81648	100	4665.60	77760.00	3888.00
	PO Chanju, Chamba		24-07-2023	Aggre.	47	91.18	148050	100	9118.00	141000.00	7050.00
5	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	123 & 128	Stone	126	282.24	97000	60	16934.40	92380.95	4619.05
	PO Chanju, Chamba		02-11-2020						0.00	0.00	0.00
6	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	130 & 116	Stone	20	44.80	15300	60	2688.00	14571.43	728.57
	PO Chanju, Chamba		02-11-2020	Sand	9	14.40	18000	60	864.00	17142.86	857.14
7	M/S Vijay Singh	MGREGA	Nil	Sand	10.47	16.75	25900	60	1005.12	24666.67	1233.33
	VPO Charda, Chamba		10-11-2019	Stone	54	120.96	37800	60	7257.60	36000.00	1800.00
9	M/S Vijay Singh	MGREGA	Nil	Sand	5.67	9.07	14000	60	544.32	13333.33	666.67
	VPO Charda, Chamba		23-02-2020					60	0.00	0.00	0.00
10	M/S Vijay Singh	MGREGA	62 & 64	Sand	13.87	22.19	34300	60	1331.52	32666.67	1633.33
	VPO Charda, Chamba		23-02-2020					60	0.00	0.00	0.00
11	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	NIL	Stone	272	609.28	208080	60	36556.80	198171.43	9908.57
	PO Chanju, Chamba		23-05-2022	Aggre.	2.86	5.55	27350	60	332.90	26047.62	1302.38
12	M/S Kewal Krishan	MGREGA	Nil	Stone	44	98.56	48400	60	5913.60	46095.24	2304.76
	PO Dehra, Chamba		23-05-2022	Sand	21.46	34.34	64430	60	2060.16	61361.90	3068.10
13	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	Nil	Stone	353	790.72	270045	60	47443.20	257185.71	12859.29
	PO Chanju, Chamba		30-05-2022					60	0.00	0.00	0.00
14	M/S Kewal Krishan	MGREGA	Nil	Stone	207	463.68	227700	60	27820.80	216857.14	10842.86
	PO Dehra, Chamba		29-11-2022					60	0.00	0.00	0.00
15	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	NIL	Stone	229	512.96	175185	60	30777.60	166842.86	8342.14
	PO Chanju, Chamba		30-06-2022					60	0.00	0.00	0.00
16	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	NIL	Stone	28	62.72	28000	100	6272.00	26666.67	1333.33
	PO Chanju, Chamba		27-06-2023					60	0.00	0.00	0.00
17	M/S Kewal Krishan	MGREGA	Nil	Stone	100	224.00	110000	60	13440.00	104761.90	5238.10
	PO Dehra, Chamba		06-12-2022					60	0.00	0.00	0.00
						TOTAL	1706209		219963.22	1624960.48	81248.02

If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. A. From Square Feet to Cubic Meter M3
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne

One Cubic Meter (M^3) Sand	1.60
One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mix	1.94
One Cubic Meter (M^3) Aggregate	1.46
One Cubic Meter (M^3) Stone	2.24

4. All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

Chanju

परिशिष्ट "5" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	M/S Kewal Krishan	15th FC	06 to 08	Sand	50218.00
	PO Dehra, Chamba		20-09-2022		
2	M/S Gurdyal Singh	VKVNY	08 to 10	Sand	11602.50
	PO Chanju, Chamba		20-09-2022		
3	M/S Pawan Kumar	15th FC	12 to 22	Sand	81648.00
	PO Chanju, Chamba		24-07-2023	Aggre.	148050.00
4	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	123 & 128	Stone	97000.00
	PO Chanju, Chamba		02-11-2020		
5	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	130 & 116	Stone	15300.00
	PO Chanju, Chamba		02-11-2020	Sand	18000.00
6	M/S Vijay Singh	MGREGA	Nil	Sand	25900.00
	VPO Charda, Chamba		10-11-2019	Stone	37800.00
7	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	NIL	Stone	208080.00
	PO Chanju, Chamba		23-05-2022	Aggre.	27350.00
8	M/S Kewal Krishan	MGREGA	Nil	Stone	48400.00
	PO Dehra, Chamba		23-05-2022	Sand	64430.00
9	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	Nil	Stone	270045.00
	PO Chanju, Chamba		30-05-2022		
10	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	NIL	Stone	28000.00
	PO Chanju, Chamba		27-06-2023		
11	M/S Kewal Krishan	MGREGA	NIL/ 29-06-2023	Carrige of stone	168194.00
	PO Dehra, Chamba				
12	M/S Gurdyal Singh	MGREGA	NIL/ 29-06-2023	Carrige of stone	223597.00
	PO Chanju, Chamba				
				TOTAL	**1523614.50**

Chanju

परिशिष्ट "6" पेज संख्या 75 से संबंधित

ANNEXXURE-2

	Name of Work	Qty executed	Sand	Cons.	Agg	Cons.	Stone	Cons.	Cement	Cons.
1	Stone Soiling	41.11					1.16	47.6876		
2	CC 1:3:6	21.05	0.47	9.8935	0.94	19.79			4.4	92.62
Work: Pakka Path Mudola MB No.16776										
Page No. 65-66										
4	**Stone Soiling**	41.06				0	1.16	47.6296		
5	**CC 1:3:6**	20.51	0.47	9.6397	0.94	19.28			4.4	90.244
Item No1	Quantity Wrong Calculation	0.05	87.15	4.3575						Page 65
Item No2	Quantity Wrong Calculation	0.54	643.16	347.3064						page 66
				351.6639						
MAS	Material Purchased			8.89		13		0		
Availbale	Collection & Carrige By Labour			0		0		39		
	Excess Consuption of Material			0.7497		6.279		8.6296		

	Name of Work	Qty executed	Sand	Cons.	Agg	Cons.	Stone	Cons.	Cement	Cons.
1	Stone Soiling	37.15					1.16	43.09		
2	Dry Rubble Masonary	27.08					1.16	31.41		
3	CC 1:3:6	20.60	0.47	9.682	0.94	19.36			4.4	90.64
Work: Pakka Path Daka MB No.16776										
Page No. 62-63										
Item No 3	CC executed	12.90*2.80*.075		2.8	2.7					Page 63
		11.90x1.20+1.60/2x.075		1.24	1.24					page 63
				4.04	3.94	1745	1702			
	Labour Enachament @ 98%					1710	1668			
						3456	3370			
MAS	Material Purchased			9.57		5		0		90
Availbale	Collection & Carrige By Labour			0		0		74		
	Excess Consuption of Material			0.112		14.36		-0.5		0.64

	Name of Work	Qty executed	Sand	Cons.	Agg	Cons.	Stone	Cons.	Cement	Cons.
1	**Cutting Work**	36.87								
2	Exacavation In Earth Work	7.74								
3	R R Masonary CM 1:6	10.14	0.365	3.7011			1.16	11.76	1.65	16.731
4	Dry Rubble Masonary	15.25					1.16	17.69		
5	Stone Soiling	2.10					1.16	2.436		
6	P/L CC 1:2:4	0.71	0.445	0.31595	0.89	0.632			6.4	4.544
7	P/L CC 1:3:6	1.87	0.47	0.8789	0.89	1.664			4.4	8.228
8	20MM thick Plaster 1:6	26.05	0.024	0.6252					0.112	2.9176
	Total			5.52115		2.296		31.8884		32.4206
Work: Panihara Nirman Sundri Rohit Land MB No.16776										
Page No. 60-61										
2	Exacavation In Earth Work	1x5.90x1x.60 = 3.54								Page 60
	Wrong Calculation	2x1.50x.60x.60 =1.08								Page 60
		Excess	7.74-6.42	1.32 x121.275		160.1				
	Labour Enachament @ 112%	160	179							
MAS	Material Purchased			2.69				0		30
Availbale	Collection & Carrige By Labour			0				31		
	Excess Consuption of Material			2.83115				0.8884		2.4206